भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1154

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में स्वीकृत ऋण

1154. श्री थरानिवेंथन एम.एस.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजना की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत तमिलनाडु, विशेषकर अरानी लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं और उक्त योजना से कुल कितने व्यक्ति तथा व्यवसाय लाभान्वित हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर तमिलनाडु में उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने में मुद्रा योजना की प्रभावशीलता का आकलन करने हेतु कोई मूल्यांकन या अध्ययन किया है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि मुद्रा योजना का लाभ विशेषकर ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों के सूक्ष्म और लघु उद्यमों तक पहुंचे और यदि हां, तो सरकार द्वारा तमिलनाडु के हाशिए पर रहने वाले समुदायों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच मुद्रा योजना संबंधी सुलभता और जागरुकता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) सरकार द्वारा मुद्रा ऋणों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो ऋणों के, विशेषकर कृषि, विनिर्माण और सेवा जैसे क्षेत्रों के लिए, क्षेत्र-वार वितरण का ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या मुद्रा योजना ने सूक्ष्म उद्यमों के विकास और स्थायित्व में योगदान दिया है और यदि हां, तो इस पहल के भावी लक्ष्य क्या हैं; और

(च) तमिलनाडु में मुद्रा ऋणों के संबंध में ऋण की वापसी अदायगी नहीं किए जाने की दर के आंकड़े क्या हैं और ऋण की वापसी अदायगी नहीं किए जाने से संबंधित जुड़े जोखिमों के उपशमन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): जून, 2025 तक, तमिलनाडु राज्य में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत शुरुआत से लेकर अब तक 5.96 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत संस्वीकृत ऋणों के संबंध में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

तमिलनाडु से संबंधित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसरों को सृजित करने में मुद्रा योजना की प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है।

सरकार ने मुद्रा योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रचार अभियान, आवेदन पत्र का सरलीकरण, ऋण गारंटी योजना, मुद्रा नोडल अधिकारी का नामांकन, सरकार और बैंकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर बार-बार समीक्षाएं शामिल हैं।

जन समर्थ पोर्टल पीएमएमवाई योजनाओं सहित सरकार द्वारा प्रायोजित बारह ऋणों और सब्सिडी को जोड़ने के लिए वन-स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल ऋण के लिए आवेदन करने और आवेदक के डेटा के डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर अनुमोदन प्रदान करने का एक त्वरित और कुशल तरीका प्रदान करता है। इसके अलावा, कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने ऋण आवेदनों के डिजिटल कार्यवाही के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप विकसित किए हैं, जिससे भौतिक कागजी कार्रवाई और व्यक्तिगत रूप से दौरा की आवश्यकता कम हो गई है।

पीएमएमवाई के तहत केन्द्रीय रूप से क्षेत्र/श्रेणी विशिष्ट ब्यौरे नहीं रखे जा रहे हैं।

(ड.) और (च): जून, 2025 तक योजना के शुभारंभ के बाद से 35.13 लाख करोड़ रुपये की राशि के 53.85 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 67% ऋण महिला उद्यमियों को और 50% ऋण एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के उधारकर्ताओं को मंजूर किए गए हैं।

राज्य-वार एनपीए का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। पीएमएमवाई के तहत एनपीए की वसूली के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

(i) निरंतर अनुवर्ती और ग्राहक सम्पर्क की आवृत्ति में वृद्धि;
(ii) पात्र खातों की पुनर्संरचना और एकमुश्त निपटान (ओटीएस)।

*****